मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल

विज्ञप्ति
परामर्शी की नियुक्ति

प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल एवं मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर के कार्यालय में संविदा आधार पर परामर्शी अधिकारी के पद पर एक–एक अधिवक्ता को संविदा आधार पर अधिकतम रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2019 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । आवेदक को उच्च न्यायालय में न्यूनतम 05 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी। जिसे बढ़ाकर अधिकतम दो वर्ष के लिए की जा सकेगी। कार्य कुशलता एवं कार्य की आवश्यकतानुसार संविदा अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी । आवेदक को सेवा नियुक्तियों से संबंधित औद्योगिक विवाद, जैसे मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये । इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र विस्तृत वायोडाटा सहित दिनांक 11.11.2019 तक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भू–तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पते पर प्रेषित कर सकते हैं । नियुक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण तथा सेवा शर्ते विभाग की बेवसाइट www.mpphed.gov. in पर देखी जा सकती है ।

प्रमुख अभियन्ता

परामर्शी नियुक्ति करने हेतु सेवा शर्ते

1. आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2. नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिये की जावेगी, जिसे कार्यकुशलता एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर अधिकतम 02 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

3. आवेदक को सेवा नियुक्ति से संबंधित औघोंगिक विवाद, मध्यप्रदेश औघोगिक अधिनियम 1960, औघोगिक विवाद अधिनियम 1947, मध्यप्रदेश औघोगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम, श्रम कानून, आचरण नियम एवं अन्य शासकीय नियमों आदि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये।

4. आवेदक को न्यूनतम 05 वर्षो का माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने का अनुभव होना वांछित है।

5. नियुक्त अधिकारी को प्रतिमाह अधिकतम रूपये 30,000/– (रू0 तीस हजार) मानदेय दिया जायेगा।

6. नियुक्त अधिकारी की सेवायं निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग के सचिव /प्रमुख सचिव द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

7. नियुक्त अधिकारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

8. नियुक्त अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

9. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

10. नियुक्ति पत्र में दर्शाई तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

11. नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

12 नियुक्त अधिकारी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

13. विवाद की स्थिति में विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

प्रमुख अभियन्ता